

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 01 व थाना कौड़िया पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रमेश कुमार पुत्र बाबूराम कोरी नि० ग्राम शिवपुरी टेपरा मौजा बकियापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-177/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बासमती पत्नी नानबाबू नि०ग्राम डुमरियाडीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-212/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. भगवान दास निषाद पुत्र सदल निषाद नि० दर्शन झाली मौजा गेडसर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-213/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

04. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. धनपता पत्नी राम औतार नि० ग्राम हरिचरन पाही मौजा छाछपारा कानूनगो थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-141/23, धारा 60 आबकारी अधि०के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.05.2023

मारपीट व आगजनी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मारपीट व आगजनी करने के आरोपी अभियुक्त अमर बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दिनांक 07.05.2023 की रात्रि वादी प्रहलाद पुत्र जगदीन नि0 लोनियन पुरवा मौजा उमरीबेगमगंज थाना उमरीबेगमगंज जनपद व उसके परिजनों को गोण्डा गाली-गुप्ता देते हुए लाठी डण्डों से मारा-पीटा था तथा घर में आग लगा दी थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अमर बहादुर पुत्र गिरधारी नि0 लोनियन पुरवा मौजा उमरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-151/23, धारा 323,504,506,436,308,427 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 संजय अग्निहोत्री मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.05.2023

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त, मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-लल्लन गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना को० देहात क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। जिसके सम्बन्ध में थाना को० देहात में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. लल्लन गोस्वामी पुत्र पहलवान गोस्वामी नि० डिहवा ठकुरापुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-202/2023 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाँक्सो ऐक्ट व 3(2)(5), 3(2)(5)ए एस०सी०एस०टी० ऐक्ट थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० अवनीश शुक्ला मय टीम।